तारीख हुक्म

जुताई, फसल बुवाई, फसल लाने ले जाने में जबरन बाधा पैदा कर रहे हैं तथा वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर बिना किसी हक अधिकार के जबरन वादग्रस्त आराजीयात के स्वरुप को बदलने पर आमादा हैं, तथा वादग्रस्त आराजीयात को बगैर बटवारा कराये हस्तांतरण, रहन, बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द कर हस्तांतरण करने पर आमादा है, प्रार्थीगण व गांव के मौतबीर व्यक्तियो द्वारा विपक्षीगण को समझाने बुझाने पर विपक्षीगण किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगणो के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना न्यायोचित है।

अतः विपक्षीगण को इस आशय अंतरिम की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण आगामी पेशी तारीख तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा कमलाहेडा प०ह० कोटडीकलां तह० निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 122 की आराजी नं0 104 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नं0 84 रकबा 4.0300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.1600 हैक्टेयर स्थित भूमि की मौके एवं रेकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। रहन,बह,बक्षीक्ष व विक्रय नहीं करे ना किसी अन्य से करावे। विपक्षीगणों को हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा जारी हो जिसकी प्रति विपक्षी को जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजी जावे। आगामी पेशी तक रजिस्टर्ड तामिल पेश नहीं करने की स्थिति में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त मानी जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 3 की पूर्णतः पालना की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 20.05.2024 को पेश हो।

20.5.24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। विपक्षीगण की तामिल अप्राप्त। वकील प्रार्थी विपक्षी के नाम न नोटिस आवश्यक [illegible] पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 5.8.24 को [illegible]

5.8.24 पत्रावली पेश [illegible] प्रार्थीगण के आवेदन पत्र पर [illegible] की गई पत्रावली में मूल प्रकरण पेश हो।

कन्हैयालाल

मांगीलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 16:19:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
46/2024 द्वारा दिनांक 5/7/2024 को निर्णित हो चुका है इसलिए इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 16:19:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner